रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 131] नई दिल्ली, सोमवार, जून 12, 1972/ज्येष्ठ 22, 1894
No. 131] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 12, 1972/JYAISTHA 22, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 12th June 1972

No. DRAWBACK/PN-50/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52-F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby make the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

1. For sub-serial No. 502 and the entries relating thereto, the following shall be substituted with effect from 1st May, 1972:

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
502	Biscuits, all sorts.	Rs. 0·405 (Forty point five paise only) per Kg. of sucrose content and Rs. 0·22 (Twenty-two paise only) per Kg. of vegetable product content contained in the biscuits.

2. Sub-serial No. 503 to 505 and the entries relating thereto shall be omitted.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 12 जून, 1972

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-50/72—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-अ०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 502 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिये 1 मई 1972 से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी
502	सभी किस्मों के बिस्कुट	सूक्रोज अन्तर्वस्तु का प्रति कि० ग्रा० 0.405 रु० (चालीस दशमलव पांच पैसे मात्र) बिस्कुटों में अन्तर्निहित वनस्पति उत्पाद अन्तर्वस्तु का प्रति कि० ग्रा० और 0.22 रु० (बाईस पैसे मात्र)

2. उप-क्रम सं० 503 से 505 तक और उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियां हटा दी जायेंगी ।

No. DRAWBACK/PN-51/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 :—

For Sub-serial Nos. 2202 & 2203 and the entries relating thereto, the following shall be substituted :—

Sub-Serial No.	Description of goods.	Rate of drawback.
1	2	3
2202	Complete Tea Chest filled made of Plywood panels.	Rs. 138·20 (Rupees one hundred thirty-eight and paise twenty only) per 100 Sq. Metres of surface of area of tea chests.
2203	Plywood panels and fittings of tea chests:	
	(1) Plywood panels for tea chests.	Rs. 73·25 (Rupees seventy-three and paise twenty-five only) per 100 Sq. Metres.

1	2	3
	(ii) Metal fittings of tea chets made of tim plate.	Rs. 0·78 (Seventy-eight paise only) per Kg.
	(iii) Wire Nails, tentur hooks and rivets.	Rs. 0·25 (Twenty-five paise only) per Kg.
	(iv) Tissue paper for wrapping battens or for lining Aluminium foil.	Rs. 0·42 (Forty-two paise only) per Kg.
	(v) Aluminium foil.	Rs. 4·25 (Rupees four and paise twenty-five only) per Kg.

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-51/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र०अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उप-क्रम सं० 2202 तथा 2203 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
2202	चाय की पूरी भरी पेटियां जो प्लाईवुड पेनल की बनी हों।	138.20 रुपये (एक सौ अड़तीस रुपये बीस पैसे मात्र) चाय की पेटियों के तल-क्षेत्र के प्रति 100 वर्ग मीटर पर।
2203	चाय की पेटियों के प्लाईवुड पेनल और फिटिंग :—	
	(i) चाय-पेटियों के प्लाईवुड पेनल	73.25 रुपये (तिहत्तर रुपये पच्चीस पैसे मात्र) प्रति 100 वर्ग मीटर।
	(ii) टिन प्लेट की बनी हुई चाय की पेटियों की धातु-फिटिंग।	0.78 रुपये (अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
	(iii) बायर नेल्स, टेंटर हुकें और रिवटें।	0.25 रुपये (पच्चीस पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
	(iv) बैटनों को लपेटने के लिये अथवा एल्युमिनियम पन्नी के अस्तर के लिए ऊतक कागज।	0.42 रुपये (ब्यालीस पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०
	(v) एल्युमिनियम पन्नी	4.25 रुपये (चार रुपये पच्चीस पैसे मात्र) प्रति कि० ग्रा०।"

No.DRAWBACK/PN-52/72.—*Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India Extraordinary dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971.*

For Sub-Serial No. 3402 and the entries relating thereto, the following shall be substituted:

Sub-Serial No.	Description of goods.	Rate of Drawback.
3402	*Glass and Glassware*	
	(*a*) Sheet Glass and plate Glass.	Rs. 12·30 (Rupees twelve and thirty paise only) per tonne.
	(*b*) Laboratory Glassware.	Rs. 44·35 (Rupees forty four and paise thirty five only) per tonne.
	(*c*) Glass shells for electric lighting bulbs and fluorescent lighting tubs.	Rs. 18·60 (Rupees eighteen and paise sixty only) per tonne.
	(*d*) Glass sheets, Glass Globes and Glass Chimneys for lamps and lanterns other than those specified at (c) above.	Rs. 18·60 (Rupees eighteen and paise sixty only) per tonne.
	(*e*) Glass bottles	
	(i) when exported as such.	Rs. 18·60 (Rupees eighteen and sixty paise only) per tonne.
	(ii) When used for packing other export goods.	Rs. 158·60 (Rupees one hundred fifty eight and paise sixty only) per tonne.
	(*f*) Glass vials/phials/ampoules when used for packing other export goods.	
	(i) of 5 cc/5ml. capacity.	Rs. 6·30 (Rupees six and paise thirty only) per one thousand pieces.
	(ii) of 7·5 cc7/5ml capacity.	Rs. 8·10 (Rupees eight and paise ten only) per one thousand pieces.
	(iii) of 10 cc/ 10ml capacity.	Rs. 9·60 (Rupees nine and paise sixty only) per one thousand pieces.
	(iv) of 15 cc/15 ml capacity.	Rs. 14·40 (Rupees fourteen and paise forty only) per one thousand pieces.
	(v) of 20 cc/ 20ml capacity.	Rs. 16·40 (Rupees sixteen and paise forty only) per one thousand pieces.
	(*g*) All other glass and glassware including wired and figured glass.	Rs. 12·70 (Rupees twelve and paise seventy only) per tonne.

सं० प्रतिप्रदायगी/पी०एन०-52/72.—सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971, (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70-प्र० शु०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/पी०एन०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा

निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रम संख्या 3402 तथा उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिग्रहायगी की दर
3402	कांच और कांच के बर्तन	
	(क) शीट कांच तथा प्लेट कांच	12.30 रु० (केवल बारह रुपये तीस पैसे) प्रति टन ।
	(ख) प्रयोगशाला के काम का कांच का सामान ।	44.35 रु० (केवल चवालीस रुपये पैंतीस पैसे) प्रति टन ।
	(ग) विद्युत प्रकाश बल्बों तथा प्रतिदीप्त प्रकाश ट्यूबों के लिए कांच के खोल ।	18.60 रु० (केवल अठारह रुपये साठ पैसे) प्रति टन
	(घ) उपर्युक्त (ग) पर विनिर्दिष्ट से भिन्न लैम्प तथा लालटेनों के लिए कांच के खोल, कांच के ग्लोब और कांच की चिमनियां ।	18.60 रु० (केवल अठारह रुपये साठ पैसे) प्रति टन ।
	(ङ) कांच की बोतलें	
	(i) जब उनका इस रूप में निर्यात किया जाता है ।	18.60 रु० (केवल अठारह रुपये साठ पैसे) प्रति टन ।
	(ii) जब निर्यात के अन्य माल की पैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है ।	158.60 रु० (केवल एक सौ अठावन रुपये साठ पैसे) प्रति टन ।
	(च) कांच के बायल्स/फायल्स/ एम्पूल्स जब कि उनका इस्तेमाल निर्यात के अन्य माल को पैक करन में किया जाता है ।	
	(i) 5 घ० सै० मी०/5 मि० लि० क्षमता वाली ।	6.30 रु० (केवल छः रुपये तीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
	(ii) 7.50 घ० सै० मी०/7.5 मि० लि० क्षमता वाली ।	8.10 रु० (केवल आठ रुपये दस पैसे) प्रति एक हजार नग

1	2	3
	(iii) 10 घ० सै० मी०/10 मि० लि० क्षमता वाली ।	9.60 रु० (केवल नौ रुपये साठ पैसे) प्रति एक हजार नग ।
	(iv) 15 घ० सै० मी०/15 मि० लि० क्षमता वाली ।	14.40 रु० (केवल चौदह रुपये चालीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
	(v) 20 घ० सै० मी०/20 मि० लि० क्षमता वाली ।	18.40 रु० (केवल अठारह रुपये चालीस पैसे) प्रति एक हजार नग ।
	(छ) अन्य सभी प्रकार का कांच और कांच के बर्तन जिसमें तार तथा चित्रित कांच शामिल है ।	12.70 रु० (केवल बारह रुपये सत्तर पैसे) प्रति टन ।

No. DRAWBACK/PN-53/72.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971) the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1, dated the 15-10-1971.

For Sub-Serial No. 2625 and the entries relating thereto, the following shall be substituted

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback
2625	Textile fabrics coated or laminated with preparation of Polyvinyl Chloride compound.	
	(1) Polyvinyl Chloride compound content.	Rs. 88·50 (Rupees eighty eight and paise fifty only) per quintal.
	(2) Base fabric content (exculding power-loom and hand loom fabric):	
	(i) When the base fabric is cotton fabric of the following categories :—	
	(a) Coarse grey /bleached/dyed fabric	Rs. 5·80 (Rupees five and paise eighty only) per hundred square metres
	(b) Medium 'B' grey/bleached dyed fabric	Rs. 10·40 (Rupees ten and paise forty only) per one hundred S . Metre.
	(c) Medium 'A' grey fabric.	Rs. 12·60 (Rupees twelve and paise sixty only) per one hundred square metres.
	(d) Medium 'A' bleached or dyed fabric.	Rs. 15·10 (Rupees fifteen and paise ten only) per hundred square metres.
	(ii) Where the base fabric is viscose rayon staple fibre..	The rates fixed under Sub-Serial No. 2708 (i) and (ii) (g) shall apply.

Provided that :

(i) where the exporter does not claim rebate of duty of excise on base cotton fabric (other than powerloom fabrics) under Central Excise Rules, 1944 or where such textile fabric coated or laminated with reparation of Polyvinyl Chlorlde Compound have not been manufactured in accordance with the procedures prescribed under Rule 96D or 191A or 191B of the said Rules, the above rate of drawback shall apply in toto.

(ii) Where the exporters has claimed rebate of duty of excise on the base cotton fabric (excluding Handloom or Powerloom fabrics) or availed of the procedures mentioned above in respect of base cotton fabrics (excluding Cotton Handloom/Powerloom fabrics) or Polyvinyl Chloride Sheeting, the rate of drawback shall apply subject to the modification that the rate specified in respect of base fabric content and/or Polyvinyl Chloride Content, as the case may be, shall not apply.

M. PANCHAPPA,
Director of Drawback.

सं० प्रतिअदायगी/पी०एन० 53/72.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति-अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70 प्र०अ०)के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०–1 में प्रकाशित सारणी में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है ।

उप-क्रम सं० 2625 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

उप-क्रम सं०	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
(1)	(2)	(3)
2625	बुना कपड़ा (टेक्सटाइल फैब्रिक) जो पोलिविनाइल क्लोराइड यौगिक की निमितियों से बिलेपित या परत-दार हो;	
	(1) पोलिविनाइल क्लोराइड यौगिक अन्तर्वस्तु	रु० 88.50 (अट्ठासी रुपये और पचास पैसे मात्र) प्रति क्विंटल ।
	(2) आधारी फैब्रिक अन्तर्वस्तु (पावरलूम और हैंडलूम फैब्रिक को छोड़कर)	
	(i) जब आधारी फैब्रिक निम्नलिखित प्रवर्गों का सूती फैब्रिक हो :—	
	(क) मोटा कोरा/विरंजित रंगा हुआ फैब्रिक	रु० 5.80 (पांच रुपये और अस्सी पैसे मात्र) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।
	(ख) मध्यम-ख कोरा/विरंजित/ रंगा हुआ फैब्रिक	रु० 10.40 (दस रुपये और चालीस पैसे मात्र) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।

(1)	(2)	(3)
	(ग) मध्यम 'क' कोरा फैब्रिक	रु० 12.60 (बारह रुपये और साठ पैसे मात्र) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।
	(घ) मध्यम 'क' विरंजित अथवा रंजित फैब्रिक	15.10 रु० (केवल पन्द्रह रुपये दस पैसे) प्रति एक सौ वर्ग मीटर ।
	(ii) जहां आधारी फैब्रिक विस्कोस रेयन स्टेबल तन्तु हो ।	उप-क्रम सं० 2708 (i) तथा (ii) (घ) के अन्तर्गत निर्धारित दरें लागू होंगी ।

परन्तु यह कि :—

(i) जहां निर्यातकर्ता केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 1944 के अधीन आधारी सूती फैब्रिक (पावरलूम फैब्रिक्स से भिन्न) पर उत्पाद शुल्क में रिबेट का दावा नहीं करता हो अथवा जहां पोलीविनायल क्लोराइड यौगिक की निर्मित निर्मिति से विलेयित अथवा परतदार इस प्रकार की सूती फैब्रिक का निर्माण उक्त नियमावली के नियम 96 (घ) अथवा 191 (क) अथवा 191 (ख) के अधीन निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार नहीं किया गया हो, वहां प्रतिअदायगी की उपर्युक्त दर पूरी-पूरी लागू होगी ।

(ii) जहां निर्यातकर्ता ने आधारी सूती फैब्रिक (जिसमें हैन्डलूम अथवा पावरलूम फैब्रिक शामिल नहीं है) पर उत्पाद शुल्क में रिबेट का दावा नहीं किया हो अथवा आधारी सूती फैब्रिक (जिसमें सूती हैंडलूम/पावरलूम फैब्रिक शामिल नहीं हैं) अथवा पोलीविनायल कलोराइड शीटिंग के संबंध में ऊपर वर्णित कार्यविधियों का लाभ उठाया हो, यहां प्रतिअदायगी की दर संशोधन की इस शर्त के साथ लागू होगी कि आधारी फैब्रिक अन्तर्वस्तु तथा/अथवा पोलीविनायल क्लोराइड अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में, जैसी भी स्थिति हो, विनिर्दिष्ट दरें लागू नहीं होंगी ।

[एम० पचप्पा,
निदेशक, प्रतिअदायगी ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972